कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 65 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2018–2019 दिनांक 27 जून 2018

श्री भगवानदीन, श्री विजय कुमार आदि
ग्राम सदरौना
विकास खण्ड–सरोजनीनगर
तहसील–सरोजनीनगर
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न संशोधित मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 1237 दिनांक 0603.017 को निरस्त करते हुए मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 26.06.2018 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा सदरौना विकास खण्ड सरोजनीनगर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 2021, 2022, 2025, 2016, 2027, 2032स, 2028, 2029, 2030, 2043, 2037, 2038 में प्लाटंग एवं उनके प्लाट संख्या ए–14, बी–1, 55, 79 28, 33, 16, 43, 44, 74 में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 9437.74 वर्गमीटर मे प्लाटिंग एवं 620.77 वर्गमीटर आवासीय भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि 9437.74 वर्गमीटर मे प्लाटिंग एवं 620.77 वर्गमीटर आवासीय भवनों में ही निर्माण कार्य कराया जाये।
5–प्रतिबन्ध रहेगा कि सडके, विधुत, पेयजल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
6–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। भू–स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नही होगी।
अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

Scanned by CamScanner